क्रम-संख्या–101 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 जुलाई, 2024

आषाढ़ 10, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2

संख्या 8 / 2024 / 2886838 / अस्सी-2–2024-80–2099-65-2022
लखनऊ, 1 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प०आ०–254

अधिसूचना संख्या 3 / 2019 / 346 / अस्सी-2–2019-100(9)-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019'' में अधिसूचना संख्या 8 / 2021 / 182 / अस्सी-2–2021-100(9)-2019, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रथम संशोधन करते हुए ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 (प्रथम संशोधन), 2021 एवं अधिसूचना संख्या 11 / 2022 / 107 / अस्सी-2–2022-100(2)-2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 द्वारा द्वितीय संशोधन करते हुए ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019'' (द्वितीय संशोधन), 2022 प्रख्यापित है। तद्क्रम में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 (यथासंशोधित) के प्रस्तर 6.2.3.2 एवं प्रस्तर 6.6 में तृतीय संशोधन किये जाने हेतु स्तम्भ-1 की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 की व्यवस्था रखते हुए ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 (तृतीय संशोधन) 2024'' को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 (यथासंशोधित) पर प्रवृत्त होंगे :–

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 (तृतीय संशोधन), 2024

स्तम्भ–1 **वर्तमान व्यवस्था**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
6.2.3.2 (कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान) उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत	**6.2.3.2 (कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान)** उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत

स्तम्भ–1 वर्तमान व्यवस्था	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
निर्यातकों को परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/रेल मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) दिया जायेगा। कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान की प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा। परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/रेल मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) की दरों का निर्धारण निम्नवत है :– (क) वायु मार्ग अथवा जल मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 10 (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो (पोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने का मार्ग व्यय सहित)। (ख) रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 05 (रूपया पांच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो। परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा। उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा। यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है। **6.6 अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन** अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, सम्बन्धित विभाग दीर्घकाल में बेहतर व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करेंगे। नोडल एजेंसी विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करने के लिए विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वयन में कार्य करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच जानकारी प्रसारित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आसान सन्दर्भ हेतु पर्याप्त प्रलेखन भी किया जाएगा तथा कृषि विभाग के प्रसार तंत्र का भी उपयोग किया जायेगा।	निर्यातकों को परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/रेल मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) दिया जायेगा। कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान की प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा। कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/रेल मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) की अधिकतम सीमा वास्तविक भुगतान किये गये भाड़े का 25 प्रतिशत होगी तथा परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 20 लाख (रूपया बीस लाख) प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा। उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा। यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है। **6.6 अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन** अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, सम्बन्धित विभाग दीर्घकाल में बेहतर व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करेंगे। नोडल एजेंसी विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करने के लिए विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वयन में कार्य करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच जानकारी प्रसारित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आसान सन्दर्भ हेतु पर्याप्त प्रलेखन भी किया जाएगा तथा कृषि विभाग के प्रसार तंत्र का भी उपयोग किया जायेगा। **6.6.1** अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँच बढ़ाने हेतु प्रदेश के एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/कृषक समूह/प्रगतिशील किसानों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लागू Good Agricultural Practices अथवा कृषि निर्यात हेतु एन0पी0ओ0पी0 प्रमाणन अथवा आयातक देश में लागू जैविक व प्राकृतिक उत्पादक प्रमाणीकरण/समकक्ष प्रमाणीकरण जिसे एपीडा/भारत

स्तम्भ–1 वर्तमान व्यवस्था	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
	सरकार की मान्यता प्राप्त हो, का प्रमाणन शुल्क तथा उत्तर प्रदेश से निर्यात किए जाने हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद के नमूनों के परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित प्रमाणन प्रमाण–पत्र की प्रति/परीक्षण शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर निम्नवत की जायेगी :– (i) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लागू Good Agricultural Practices अथवा समकक्ष प्रमाणीकरण हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 1.50 लाख। (ii) जैविक/प्राकृतिक/समकक्ष प्रमाणीकरण हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 1.00 लाख। (iii) कृषि व कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद के नमूनों का आयातक देशों के एम0आर0एल0 (मैक्सिमम रेसिडयू लेवल) मानकों के अनुसार परीक्षण हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 1.00 लाख। (iv) उपरोक्त प्रतिपूर्ति किन मानकों या परीक्षण हेतु की जायेगी, उक्त का निर्धारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की संस्तुति पर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा किया जायेगा।

2–उक्त संशोधित प्राविधान दिनांक 01 जुलाई, 2024 से किए जाने वाले निर्यात पर प्रभावी होंगे और एक वर्ष उपरांत इन नीतिगत संशोधनों की समीक्षा की जाएगी।

3–उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति, 2019 (यथासंशोधित) के संचालन हेतु परिचालन दिशा निर्देश अथवा स्पष्टीकरण निर्गत करने हेतु मा0 विभागीय मंत्री जी अधिकृत होंगे।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 271 राजपत्र–2024–(704)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा0 कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार–2024–(705)–250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।